"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2016—— आषाढ़ 23, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 23, 1938)

क्रमांक-7591/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) जो गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"3. **शास्ति.-** (1) जो कोई, चिकित्सा सेवा संस्थान के किसी चिकित्सा सेवक के कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसके जीवन को संकटापन्न या उसे कोई हानि, क्षति, आपराधिक अभित्रास, बाधा या अवरोध या सम्पत्ति जो 1000/- रुपये से अधिक हो की हानि, कारित करता है, वह हिंसा का कृत्य करता है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा.

(2) जो कोई, या तो स्वयं या किसी व्यक्तियों के समूह या संगठन का सदस्य के रूप में या नेतृत्व करते हुए, अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण या उद्दीपन करता है, तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जायेगा तथा नुकसान किये गये चिकित्सा उपकरण के क्रय मूल्य की वास्तविक राशि तथा किसी सम्पत्ति को कारित हानि के लिए, ऐसी शास्ति के लिए भी दायी होगा, जैसा कि सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये."

धारा 4 का विलोपन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाये.

धारा 5 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "जमानतीय" के स्थान पर, शब्द "अजमानतीय" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) के अधीन कारित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उसके रोकथाम के लिए ऐसे अपराध को अजमानतीय बनाने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करना प्रस्तावित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 08 जुलाई, 2016

अजय चन्द्राकर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री,
भारसाधक-सदस्य.

उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 की धारा 3, 4 एवं 5 के संबंध में सुसंगत उद्धरण -

---

हिंसा का प्रतिषेध 3. चिकित्सा सेवक के विरुद्ध हिंसा अथवा चिकित्सा सेवा संस्थान की संपत्ति की क्षति या हानि का कोई कृत्य प्रतिषिद्ध होगा.

शास्ति 4. कोई अपराधी जो धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में हिंसा का कोई कृत्य करता है, या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरित करता है, तो उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा.

अपराध का संज्ञान 5. इस अधिनियम के अधीन कारित कोई अपराध, संज्ञेय जमानतीय तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.